झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–83 / 2020

नईमुल अंसारी ....याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री राजीव शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता।

विपक्षी पक्ष के लिए: श्री सतीश कुमार केशरी, ए0पी0पी0।

05 / 13.02.2020 श्री राजीव शर्मा, याचिकाकर्त्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री सतीश कुमार केशरी, राज्य के लिए विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता को शिकारीपारा थाना काण्ड संख्या 66 / 2019 के संबंध में आरोपी बनाया गया है।

सूचक के सहकर्मी को अचेत अवस्था में पाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र मिश्रा की हत्या करने के लिए याचिकाकर्त्ता पर संदेह जताया गया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि जांच के दौरान, कुछ गवाहों ने पिछली दुश्मनी के कारण याचिकाकर्त्ता पर संदेह जताया है जो याचिकाकर्त्ता और मृतक के बीच मौजूद था।

विद्वान ए0पी0पी0 ने उक्त संदेह को प्रमाणित करने के लिए केस डायरी के अनुच्छेद–67 का उल्लेख किया।

ऐसा प्रतीत होता है कि घटना का काई चश्मदीद गवाह नहीं है और केवल पिछली दुश्मनी के आधार पर जो याचिकाकर्त्ता और वह मृतक के बीच मौजूद थी, उसे लगता है कि उसे फंसाया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में, उपरोक्त याचिकाकर्त्ता को 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान एस0डी0जे0एम0, दुमका के संतुष्टि पर, शिकारीपारा थाना काण्ड संख्या 66/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)